



अनुलग्नक 4
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.3)

प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी)

प्रारूप क: स्लम पुनर्विकास के अंतर्गत शामिल किए जा रहे लाभार्थी की सूचना

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. लिंग [पुरुष:01, महिला:02, उभयलिंगी:03]
3. पिता का नाम
4. परिवार के मुखिया की आयु
5. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा
 - i. मकान सं.
 - ii. गली का नाम
 - iii. शहर
 - iv. मोबाइल संख्या
6. स्थाई पता
 - i. मकान/पलैट/द्वार सं.
 - ii. गली का नाम
 - iii. शहर/गांव
 - iv. जिला, राज्य
7. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो
मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)
8. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण –पत्र



9. धर्म

[हिन्दू-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05,
बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य(उल्लेख करें)]

10. जाति

[सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02,
अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]

11. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)

12. वैवाहिक स्थिति

(विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)

13. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी
भूमि है? (हां/नहीं)

क. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें। (बस्ती/ शहर/राज्य)

ख. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

14. विद्यमान आवास का स्वामित्व विवरण

(अपना-01, किराए का-02, अन्यथा-03)

15. परिवार की औसत मासिक आय (रूपए में)

घर के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रमारी के
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



प्रारूप ख – लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना*

1. परिवार के मुखिया का नाम	<input type="text"/>																				
2. लिंग [पुरुष:01, महिला:02, उभयलिंगी:03]	<input type="text"/>																				
3. पिता का नाम	<input type="text"/>																				
4. परिवार के मुखिया की आयु	<input type="text"/>																				
5. वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा																					
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.	<input type="text"/>																				
ii. गली का नाम	<input type="text"/>																				
iii. शहर	<input type="text"/>																				
iv. मोबाइल संख्या	<input type="text"/>																				
6. स्थाई पता																					
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.	<input type="text"/>																				
ii. गली का नाम	<input type="text"/>																				
iii. शहर/गांव	<input type="text"/>																				
iv. जिला, राज्य	<input type="text"/>																				
7. मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा [स्वामित्व – 01, किराया – 02, अन्य – 03]	<input type="text"/>																				
8. छत के आधार पर मकान का प्रकार [पक्का (सीमेंट कंक्रीट और पत्थर वाला)–01, अर्द्ध-पक्का (सीमेंट की चादर / स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)–02, कच्चा (धास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)–03]	<input type="text"/>																				
9. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या	<input type="text"/>																				
10. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र)	<input type="text"/>																				
11. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">परिवार के मुखिया से संबंध</th> <th style="width:10%;">लिंग</th> <th style="width:10%;">आयु</th> <th style="width:50%;">आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र																	
परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण-पत्र																		
12. धर्म [हिन्दू-01, मुस्लिम-02, इसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य(उल्लेख करें)]	<input type="text"/>																				
13. जाति [सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04]	<input type="text"/>																				
14. बैंक का ब्यौरा																					
क. बैंक खाता संख्या	<input type="text"/>																				
ख. बैंक और शाखा का नाम	<input type="text"/>																				
ग. बैंक का आईएफएससी कोड	<input type="text"/>																				



15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या
 [0 से 1 वर्ष -01, 1 से 3 वर्ष- 02, 3 से 5 वर्ष- 03, 5 वर्ष से अधिक-04]
16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र-वर्ग मीटर में)
17. क्या विकलांग हैं (हां/नहीं)
18. वैवाहिक स्थिति
 (विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03)
19. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हां/नहीं)
 ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।
 (बस्ती/ शहर/ राज्य)
 घ. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।
20. रोजगार की स्थिति
 (स्व-रोजगार - 01, वेतनभोगी - 02, नियमित मजदूरी- 03, मजदूर - 04, अन्य - 05)
21. परिवार की औसत मासिक आय (रूपए में)
22. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां / नहीं)
 क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।
23. परिवार की आवास आवश्यकता
 (नया घर- 01, वृद्धि - 02)
24. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।
 [एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]
25. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है
 i. ऋण से जुड़ी सब्सिडी- 01
 ii. भागीदारी में किफायती आवास- 02
 iii. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार- 03
26. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)
 (क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण / विस्तार के अंतर्गत है)

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट: *अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए "सभी के लिए आवास कार्यक्रम" (एचएफएपीओए) स्कीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 13 पर प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना के फ्लो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर